बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा– 4 अंतर्गत मैनुअल– 1 से 17

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

अध्याय – 2 (मैनुअल – 1)

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्त्तव्य

Chapter-2 (Manual-1)

Particulars of Organisation, Functions and Duties

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

1. **उद्देश्य–** Objective/purpose of the public authority.

इस विभाग का गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक–1/4/2007 को किया गया है।

संविधान में समावेशित मार्ग निर्देशक सिद्धातों की पूर्ति हेतु राजकीय संगठन की संरचना में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व दिया गया है । इस समुदाय में मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पुरूष,महिलायें एवं बच्चे आते हैं ।
वर्ष 2001 के जनगणना अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की आवादी कुल जनसंख्या का 15.72 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की आवादी 0.91 प्रतिशत है।

Demographic Data:

1-	कुल जनसंख्या (2001 के अनुसार)	8,29,98,509
(क)	कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या	1,30,48,608
(ख)	कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	7,58,351

2. **कार्यक्षेत्रः**

उपर्युक्त उद्देश्यों के पूर्ति हेतु कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक निदेशालय यथा अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण निदेशालय कार्यरत है ।

कल्याण निदेशालय :–

इस निदेशालय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है ।

विभाग का प्रमुख कार्यक्रम
कल्याण निदेशालयः

- छात्रवृत्ति– विद्यालय से महाविद्यालय तक – अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति वर्गो के लिये ।
- छात्रावास– अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति वर्गों के लिये ।
- आवासीय विद्यालय– अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति वर्गों के लिये
- अत्याचार राहत– अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति के लिये ।
- आर्थिक विकास– अनु0जाति एवं जनजाति के लिए।

3. **विभाग के अधीन अन्य प्रमुख संस्थान एवं समितियॉ** :–

(क) **बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटनाः** अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक उत्थान हेतु बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम का गठन वर्ष 1979 में किया गया । इस निगम की कुल प्राधिकृत हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंश 51 प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार का अंश 49 प्रतिशत है। निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों को तथा भंगियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लिए अनुदान एवं बैंक से ऋृण दिलाया जाता हैं। इसके साथ–साथ ग्राम्य एवं लघु उद्योग,चर्म उद्योग,बॉस–बेंत उद्योग,सिलाई–कटाई,छोटे–छोटे दुकानों की स्थापना, लॉण्ड्री,फल –फूल दुकान,बैलगाड़ी,रिक्शा, ऑटो आदि के प्रशिक्षण की एवं उन्हीं उद्योगों में लगाकर उनके आय में बढ़ोतरी हेतु व्यवस्था की जाती है।

बिहार विभाजन के पश्चात जनजाति की योजनाओं के लिए भी इस सहकारी समिति को चेनेलायजिंग एजेंसी बनाया गया है ।

4–विभाग के अधीन अन्य प्रमुख संस्थान एवं समितियॉ

(क). **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत गठित समितिः**

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के निमित केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 नामक एक अधिनियम पारित कर पूरे देश में लागू किया गया है। इस अधिनियम के आलोक में अनु0जाति,जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली–1995 लागु है। उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री, सदस्य–मंत्री,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग एवं अनु0जाति,जनजाति के माननीय सांसद, विधानमंडल के माननीय सदस्यगण एवं राज्य के उच्च स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होते है। इस समिति में अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं।

(ख). **विहार राज्य अनुसूचित जाति परामर्शदातृ पर्षद** :

बिहार राज्य अनुसूचित जाति परामर्शदातृ पर्षद का गठन मंत्री कल्याण की अध्यक्षता में करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति की विशेष अंगीभूत योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु परामर्शदातृ पर्षद के तहत उपसमितियों को गठित करने का प्रावधान है। समितियों के अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति भी होते है। समिति राज्य के जिलों/प्रखंडों में जाकर विशेष अंगीभूत योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है एवं राज्य सरकार को परामर्श देती है।

6. अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं उपलब्धिः

जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, के लिए इस विभाग जो योजनायें मुख्य रूप से चला रही है वे निम्न प्रकार हैं :–

(क) **शैक्षणिक योजनायें**– शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणार्थ इस विभाग द्वारा कई शैक्षणिक योजनायें चलायी जा रही है। इनमें मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रावैधिकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रावृति देना, प्रवेशिकोत्तर स्तर पर अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति (कॉशन मनी अथवा लौटाने योग्य फीस छोड़ कर) एवं विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रीक परीक्षा में परीक्षा शुल्क से छूट, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों का संचालन, अनु0जाति/जनजाति स्कूली–छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति, अनु0जाति/जनजाति पुस्तक अधिकोष की स्थापना एवं अस्वच्छ कार्यों में जो परिवार लगे हुए है उनके बच्चों के लिए विशेष दरों पर छात्रवृति आदि की योजनायें है।

<u>महविद्यालयों में छात्रावृत्ति</u>– महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनूसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना के तहत् संचालित है। इस योजना के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

<u>विद्यालय छात्रवृत्ति</u> – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रा–छात्राओं को विभिन्न स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त कर छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण पंचायतिराज व्यवस्था के माध्यम से कराया जाता है। वर्तमान में विद्यालय छात्रवृति की दरें निम्न प्रकार से लागू है–

वर्ग	दर (रु0 प्रतिमाह प्रति छात्र)
1से 4 तक	15/–
5 से 6 तक	30/–
7 से 10 तक	55/–
प्रावैद्यिकी कोर्स	150/–

<u>प्रावैधिकी छात्रवृत्ति</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रावैधिक छात्रवृति स्वीकृत किया जाता है ।

<u>परीक्षा शुल्क</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इंटर की परीक्षा तथा विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा के लिये परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति इस विभाग द्वारा की जाती है।

<u>पोशाक की आपूर्ति–</u>

विद्यालयों में पढ़ने वाली अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति की छात्राओं को प्रति वर्ष 250.00 रुपये की दर से दो सेट पोशाक की आपूर्ति की जाती है। प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम ऐसी छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति की जाती है जिन्हें छात्रवृतियॉ या अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त न हों ।

<u>आवासीय विद्यालय</u>

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिये क्रमशः 51 एवं 15 आवासीय विद्यालय संचालित है जिनमें क्रमशः 10696 अनुसूचित जाति के छात्रों एवं 2512 अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था है। वर्ष 2005–06 में अनु0 जाति बालिकाओं के लिए 13 आवासीय उच्च विद्यालय तथा 1 अनु0 जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है । आवासीय विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं को 900 रुपये प्रतिमाह की दर से भोजन, 1500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से पोशाक, 1000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से पठन–पाठन सामग्री तथा 100 रुपये प्रतिमाह की दर से तेल,साबुन आदि सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

सरकार द्वारा इन दरों में वृद्यि दिनांक–2/3/07 से किया गया है।

<u>छात्रावास</u> –

इस विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं के लिये क्रमशः 150 एवं 13 छात्राावास संचालित हैं । इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को उपस्कर, रसोइया सह सेवक की सेवायें, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधायें सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती है । प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक भी होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रुप में अधीक्षण भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के सुसंचालन का उत्तरदायित्व रहता है । इसके अतिरिक्त अनु0जाति के लिए 2 नये छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

पुस्तक अधिकोष –

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जातियों के छात्र/छात्रा के लिये राज्य के मेडिकल कॉलेजों,पॉलीटेकनीक,प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों, ललित ना0 संस्थान,पटना, पशू चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों में एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना की गई है । इन अधिकोषों के माध्यम से दो छात्रों पर एक सेट कोर्स की पुस्तके अस्थाई रूप से उपलब्ध करायी जाती है ।

अस्वच्छ कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृति

यह योजना के0 प्रा0यो0 एवं गैर योजना दोनों मदों से संचालित है। केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना का उदे्श्य शौचालय की सफाई करने वालों, चर्मशोधन करने वालों, चमड़ा उधाड़ने वालों तथा सफाई कार्य से परम्परागत रूप से जुड़े सफाई कर्मचारियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षार्जन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति की दर निम्नलिखित है–

(1) छात्रावासी छात्रों के लिये–(प्रति माह 10 माह के लिए)
(क)वर्ग 3 से 8 तक– 300 रूपये (ख)वर्ग 9 से 10 तक–375 रूपये ।

(2) दिवाकालीन छात्रों के लिये–
(क)वर्ग 2 से 5 तक – 40 रूपये (ख)वर्ग 6 से 8 तक – 60 रूपये।
(ग)वर्ग 9 से 10 तक– 75 रूपये ।

इसके अतिरिक्त दिवाकालीन छात्रों को 550/'–रू0 प्रतिवर्ष एवं छात्रावासी छात्रों को 600/– प्रतिवर्ष तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है ।

मुसहर जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति–

इस विभाग द्वारा मुसहर जाति के लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम 1992–93 से शुरू किया गया है । इनके बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने जांए,इसके लिये विशेष प्रोत्साहन का भी प्रयास किया गया है जिसके अन्तर्गत मुसहर जाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय जाने पर 1 रूपये प्रति उपस्थिति दिवस वर्ग 1 से 6 के लिये प्रावधान किया गया है ताकि वे छात्र/छात्राएं इससे प्रोत्साहित होकर विद्यालय जायं और बीच में ही वे विद्यालय न छोडें ।

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र–

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता की परीक्षाओं में सफल होने के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु पटना,भागलपुर एंव दरभंगा विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण की स्थापना की गई है । इन केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति की जाती है । प्री–मेडिकल एंव प्री–इंजीनियरिंग एडमीशन टेस्ट के लिये भी तैयारी के लिये प्रशिक्षण के कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं ।

राशि की उपलब्धता के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग सहायक ग्रेड, आशुलिपिक, लिपिक ग्रेड, अंकेक्षण लेखा निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन, आयकर निरीक्षक आदि की परीक्षा में सफलीभूत होने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है ।

वैधिक सहायता–

अनुसूचित जातियों को अन्तरित जमीन की वापसी, दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी मुकदमा लड़ने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसी प्रकार दीवानी,फौजदारी तथा राजस्व मुकदमों में फॅसे अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी गैर–अनुसूचित जाति के सदस्य से मुकदमा लड़ने हेतु वैधिक सहायता प्रदान की जाती है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1995 :

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु अनु0 जाति/जनजाति की अस्पृश्यता निवारण कार्य हेतु जिलों से मांग के आलाक में राशि स्वीकृत की जाती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 :

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 30 जनवरी, 1990 से पूरे बिहार में लागू किया गया है । यह एक केन्द्र प्रयोजित योजना है जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

इस अधिनियम के तहत् अनु0जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली–1995 लागु है। इस नियमावली के आलोक में राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति गठित है। उसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति गठन का प्रावधान है।

अनु0जाति/अनु0 जन जाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता :

अनु0जाति एवं जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु इस योजना के तहत् राशि स्वीकृत किया जाता है ।

इस योजना के तहत् वैसी योजनायें ली जाती है जिससे अनु जाति के व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान हो सके। साथही सबंधित 50 प्रतिशत से अधिक अनु0जाति जनसंख्या वाले क्षेत्र में आधारभुत संरचना विकास हेतु भी योजनायें ली जा सकती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में विशेष अंगीभूत योजना के योगात्मक के रूप मे अनसूचित जातियों के हितार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि प्राप्त होती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता योजना का मूल उद्देश्य– परिवारोनमुखी आय–उत्पादक योजना का चयन कर गरीबी–रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों (शहरी निवासी सहित) की आय वृद्धि करना हे ताकि वे गरीबी की रेखा से उपर उठ सकें।

- ***(घ) अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना*** :– यह योजना अनु0जाति के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। इस योजना के लिए संबंधित विभाग द्वारा उनके वार्षिक उद्व्यय से एक निश्चित प्रतिशत की राशि कर्णाकिंत करते है। इस योजा के तहत् अनु0जाति के जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप कम से कम राशि कर्णाकित करनें का प्रावधान है।

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के लिए गैर योजना में उपलब्ध बजट प्रावधान
वर्ष– 2007–08

(राशि रू0 में)

क्रमांक	मद का नाम	बजट उपबंध
1	2	3
A.	**अनुसूचित जाति –**	
1	निदेशन एवं प्रशासन	179540000
2	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति(197 ब्लौक पंचायत)	1000000
	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति(198 ग्राम पंचायत)	2500000
	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति(277 शिक्षा)	2500000
3	छात्रावास संधारण	29971000
4	आवासीय विद्यालय संधारण	299268000
5	औद्योगिक विद्यालय	1603000
6	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	800000
7	नागरिक सुरक्षा अधिनियम	10000
8	अनु0जातियों पर अत्याचार से राहत	500000
9	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	8000000
10	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	3066000
11	वैधिक सहायता	100000
12	अनु0जाति के खानाबदोश जातियों का कल्याण	644000
	योग – अनुसूचित जाति	**529502000**
B.	**अनुसूचित जनजाति –**	
1	अनु0 आदिम जाति पर अत्याचार राहत	100000
2	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	300000
3	पोशाक की आपूर्ति	200000
4	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	500000
5	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	2605000
6	आवासीय विद्यालय संधारण	65703000
7	प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र	540000
8	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ट निवारण केन्द्रों का संधारण	2192000
9	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों का कल्याण	2653000
	योग – अनुसूचित जनजाति	**74793000**
	कुल योग	**604295000**

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के लिए योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध बजट प्रावधान **वर्ष– 2007–08** (राशि रू0 में)

क्रमांक	मद का नाम	बजट उपबंध
1	2	3
A.	**अनुसूचित जाति –**	
1	प्रदर्शनी, सेमिनार, एवं पोस्टर	2500000
2	व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां	25000000
3	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	20000000
4	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लौक पंचायत)	82800000
	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	22700000
5	प्राथ0 एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	245000000
	प्राथ0 एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277शिक्षा)	55000000
6	मुसहर छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	11000000
	मुसहर छात्रवृत्ति (277शिक्षा)	4000000
7	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	49000000
8	प्रावैधिक छात्रवृत्ति	4200000
9	कीडा छात्रवृत्ति	300000
10	छात्राओं को पोशाक	10000000
11	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास भवन निर्माण	237100000
12	अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए 50:50	1000000
13	छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण 50:50	5650000
14	अनु0जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 50:50	2500000
15	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	2000000
16	अजाविनि – हिस्सा पूंजी	10000000
	योग – अनुसूचित जाति	**789750000**
B.	**अनुसूचित जनजाति –**	
1	धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता	22900000
2	विशेष केन्द्रीय सहायता	50000000
3	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लौक पंचायत)	11300000
	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	4000000
4	प्राथ0 एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	14700000
	प्राथ0 एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277शिक्षा)	5000000
5	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	3000000
6	प्रावैधिक छात्रवृत्ति	100000
7	कीडा छात्रवृत्ति	100000
8	शोध कार्य	500000
9	आयुर्वेदिक केन्द्रों का पुनर्गठन	10000000
10	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण	65000000
	योग – अनुसूचित जनजाति	**186600000**
	कुल योग	**976350000**

केन्द्र प्रायोजित योजना

C.	**केन्द्र प्रायोजित योजना (अनु0 जाति)**	
1	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	150000000
2	मेरिट उन्नयन	1200000
3	विशेष केन्द्रीय सहायता	100000000
	योग–	**251200000**
	केन्द्र प्रायोजित योजना (अनु0 जनजाति)	
1	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	1000000
2	आदिम जातियों का बीमा योजना	500000
	योग –	**1500000**
	कुल योग	**252700000**
D	**केन्द्र प्रायोजित योजना (अनु0 जाति) 50:50**	
1	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	2000000
2	अनु0जाति, जनजाति अत्याचार निवारण	2500000
3	अस्वच्छ कार्य	1000000
4	छात्रावास निर्माण	5650000
	योग–	**11150000**

विभाग द्वारा संचालित अनु0जाति के लिए अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों की सूची

क्रमांक	प्रमंडल	जिला का नाम	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	पटना	नालंदा	आ0उ0विद्यालय,राजगीर
2		नालंदा	बालिका0उ0विद्यालय,राजगीर
3		रोहतास	आ0उ0विद्यालय,सासाराम
4		रोहतास	बालिका0उ0विद्यालय,सासाराम
5		पटना	आ0उ0विद्यालय,पुनपुन
6		पटना	आ0उ0विद्यालय,पिपलॉवां
7		पटना	बालिका0उ0विद्यालय,पटना
8		भोजपुर	आ0उ0विद्यालय,मौलाबाग
9		भोजपुर	बालिका0उ0विद्यालय,आरा
10		भभुआ	आ0उ0विद्यालय,कुदरा
11		भभुआ	आ0उ0विद्यालय,भभुआ
12		बक्सर	आ0उ0विद्यालय,बक्सर
13	तिरहुत	सीतामढ़ी	आ0उ0विद्यालय,राघोपुर,बखरी
14		पु0 चम्पारण	आ0उ0विद्यालय,सुगॉव
15		प0 चम्पारण	आ0उ0विद्यालय,मेडरौल
16		प0 चम्पारण	आ0उ0विद्यालय,चौतरवा
17		हाजीपुर	बालिका0उ0विद्यालय,हाजीपुर
18		मुजफ्फरपुर	आ0उ0विद्यालय,पोखरैरा
19		मुजफ्फरपुर	बालिका0उ0विद्यालय,राजवाड़ा
20		मुजफ्फरपुर	प्रा0बा0वि0,मुरौल,मुजफ्फरपुर
21		मुजफ्फरपुर	प्रा0बा0वि0,बोचहा,मुजफ्फरपुर
22	सारण	गोपालगंज	आ0उ0विद्यालय,हथुआ
23		सारण	आ0उ0विद्यालय,रामचक
24	पुर्णियां	अररिया	आ0उ0विद्यालय,फारबिसगंज
25		पुर्णियां	आ0उ0विद्यालय,जानकीनगर
26		किशनगंज	आ0उ0विद्यालय,किशनगंज
27		कटिहार	आ0उ0विद्यालय,सोनैली
28	मुंगेर	मुंगेर	बालिका0उ0विद्यालय,मुंगेर
29		बेगुसराय	आ0उ0विद्यालय,भर्रा
30		खगड़िया	आ0उ0विद्यालय,अलौली
31	मगध	गया	आ0उ0विद्यालय,मटिहानी
32		गया	आ0उ0विद्यालय,मनफर
33		गया	आ0उ0विद्यालय,शेरघाटी
34		गया	मध्य विद्यालय, तपोवन
35		गया	प्रा0बा0वि0,डुमरिया, गया
36		गया	प्रा0बा0वि0,मानपुर, गया

क्रमांक	प्रमंडल	जिला का नाम	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
37		गया	प्रा0बा0वि0,इमामगंज, गया
38		गया	प्रा0बा0वि0,आमस, गया
39		गया	प्रा0बा0वि0,मोहनपुर, गया
40		गया	प्रा0बा0वि0,फतेहपुर, गया
41		गया	प्रा0बा0वि0,गुरूआ, गया
42		गया	प्रा0बा0वि0,वजीरगंज, गया
43		गया	प्रा0बा0वि0,गया टाउन, गया
44		नवादा	बालिका0उ0विद्यालय,नवादा
45		नवादा	प्रा0बा0वि0,सिरदला, नवादा
46	**कोशी**	**सहरसा**	**आ0उ0विद्यालय,अमरपुर**
47	दरभंगा	समस्तीपुर	आ0उ0विद्यालय,रोसड़ा
48		मधुबनी	आ0उ0विद्यालय,रामनगर
49		मधुबनी	आ0उ0विद्यालय,बलिराजपुर
50		मधुबनी	बालिका0उ0विद्यालय,मधुवनी
51	**भागलपुर**	**भागलपुर**	**आ0उ0विद्यालय,कंपनीबाग**
			कुल योग

विभाग द्वारा संचालित अनु0जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों की सूची

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	पटना	रोहतास	आदिवासी आवा0 बालक उच्च वि0, सोली
2		रोहतास	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, नागाटोली
3		रोहतास	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, बुधुआ
4		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक उच्च वि0, देवरी
5		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक उच्च वि0, बड़गॉव
6		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, आथन
7		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, कोल्हुआ
8		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, सड़की
9		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, सेमरा
10		भभुआ	आदिवासी आवा0 बालक मध्य वि0, मसानी
11	तिरहुत	प0 चम्पारण	आदि0 आवा0 उच्च विद्यालय, सिघॉव
12	पुर्णियां	कटिहार	आदिवासी आवा0 बालक उच्च वि0, कुमारीपुर, नीमा
13		पुर्णियां	आदिवासी आवा0 बालक उच्च वि0, बनमनखी
14		पुर्णियां	आदिवासी आवा0 बालक उच्च वि0, मुगलिया,पुरनदाहा
15	मुंगेर	जमुई	आदि0 आवा0 उच्च विद्यालय, बामदह

RATES OF WELFARE STIPEND AT A GLANCE

FOR SC & ST				
Sl. No.	Class		Rate	
1.	From I to IV		Rs. 15.00 Per month for 12 months	
2.	From V to VI		Rs. 30.00 Per month for 12 months	
3.	From VII to X		Rs. 55.00 Per month for 12 months	
4.	Technical-		Rs. 150.00 Per month for 10 months	
5.	Mushahar Stipend-Class I to VI		Rs. 30.00 Per month for 12 months	
6.	Sports Stipend(a) for student – (b) for coach		Rs. 200.00 Per month for 6 months. Max. Rs. 1000.00	
Children whose parents engaged in unclean occupation (Day Scholars)				
1.	From I to V		Rs. 40.00 Per month for 10 months	
2.	From VI to VIII		Rs. 60.00 Per month for 10 months	
3.	From IX to X		Rs. 75.00 Per month for 10 months	
Hostellers				
1.	From III to VIII		Rs. 300.00 Per Month	
2.	From IX to X		Rs.375.00 Per month	
Additional adhoc grant for day scholars @ Rs. 550/- & Hostellers @ 600/-				
Post Matric stipend w.e.f. 1.4.2003				
For SC & ST				
Group	Hostellers	Day Scholars		
A	740	330		
B	510	330		
C	510	330		
D	355	185		
E	235	140		

Explanation of Groups :
Group-A : Medical(Allopathic & others), Engineering, Agriculture, Veterinary, MBA, MCA, Degree in Commercial Pilot Licence & Post graduate Courses (M.Phil, Ph.D, Post Doctoral Research etc.).
Group-B&C : Other professional, technical & post graduate degree (M.Phil, Ph.D, Post Doctoral Research etc.). courses which are not included in Group-A. C.A./I.C.W.A./C.S. etc. All Post graduate level Diploma Courses & all certificate level courses.
Group-D : Graduate and above degree courses not included in Group A, B & C.
Group-E : In 10+2 system, 11 & 12 classes and Intermediate etc.

Rates of stipend-sc-st

अध्याय– 3 (मैनुअल– 2)

विभागीय, निदेशालयों को संगठनात्मक ढ़ांचा एवं अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्त्तव्य

CHAPTER - 3 (MANUAL- 2)

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

विभाग में कार्यों /संचिकाओं के निष्पादन हेतु संगठनात्मक ढ़ांचा निम्न प्रकार है–

प्रधान सचिव
↓
संयुक्त सचिव
↓
अवर सचिव
↓
प्रशाखा पदाधिकारी
↓
सहायक

विभाग कार्यो /संचिकाओं के निष्पादन हेतु विभिन्न प्रशाखाओं में गठित है ।

ससमय कार्यों एवं नीतिगत निर्णयों में Rules of Executive Business में प्रतिवेदित विषयों का पालन किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त Board Misc. Rules , Bihar Financial Rules आदि एवं वित्त विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्गत पत्रों / परिपत्रों के अनुरूप रोजमर्रा के कार्यों को निष्पादन किया जाता है ।

कल्याण निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

निदेशक कल्याण
↓

↓ मुख्यालय
↓ उप निदेशक, कल्याण (मुख्यालय)

↓ सहायक निदेशक,कल्याण दो पद (बि0प्र0से0)

↓ सहायक निदेशक(क), (विभागीय)

↓ प्रमंडल
↓
↓
↓
प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण
↓
जिला कल्याण पदाधिकारी
↓
अनुमण्डल कल्याण पदा0
↓
प्रखड कल्याण पदा0

<u>सूचना के अधिकार से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं पद नाम</u>

1–अपीलीय प्राधिकार का
नाम एवं पद नाम : श्री विजय प्रकाश
सरकार के प्रधान सचिव,
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग,
सचिवालय, पटना।
पिन कोड– 800015
फोन न0– 0612–2234830

2– लोक सूचना पदाधिकारी का
नाम एवं पद नाम : श्री परमानंद पासवान
सरकार के संयुक्त सचिव,
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग,
सचिवालय, पटना।
पिन कोड– 800015
फोन न0– 0612–2203705

3– सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
का नाम एवं पद नाम : श्री सुरेश चौधरी
सरकार के अवर सचिव,
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग,
सचिवालय, पटना।
पिन कोड– 800015

अध्याय– 4 (मैनुअल– 3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, अनुदेश आदि

Chapter- 4 (Manual- 3)

Rules , Instruction etc. for Disclosing Function

(Preparation of details under process)

बिहार सरकार
कल्याण विभाग
सं0–10/विविध–10/2006–347

प्रेषक,

विजय प्रकाश,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,

पटना ।

पटना, दिनांक– 2/3/2007

विषयः– कल्याण विभाग के अन्तर्गत समाज कल्याण प्रक्षेत्र में संचालित विशेष विद्यालयों (नेत्रहीन एवं मूक–बधिर विद्यालयों), किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संचालित किशोर/बाल गृहों तथा कल्याण प्रक्षेत्र के अनु0 जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर वृद्धि की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण प्रक्षेत्र में संचालित विशेष आवासीय विद्यालयों/संस्थानों यथा राजकीय नेत्रहीन विद्यालय, राजकीय मूक–बधिर विद्यालय, कमला नेहरू समाज सेवा संस्थान (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संचालित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक–बालिकाओं अथवा बेसहारा, अनाथ, निराश्रित बालक–बालिकाओं हेतु संचालित विभिन्न प्रकार के गृहों (किशोर/बाल गृहों) एवं अनु0जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्र–छात्राओं/आवासी–आवासिनियों के दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि की संख्या एवं दर में वृद्धि की आवश्यकता तथा वर्तमान परिपेक्ष्य के आलोक में इन संस्थानों के समुचित एवं स्वास्थ्यकर वातावरण में संचालन तथा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु पूर्व के प्रावधानों में संशोधन तथा आवश्यक मदों का प्रावधान करते हुए वर्तमान दरों को संशोधित करने हेतु सरकार द्वारा निर्णय ली गई है।

2. दर पुनरीक्षण के आलोक में वर्तमान दर तथा संशोधित दर मदवार निम्न प्रकार है जो संबंधित संस्थान के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष के उपशीर्ष अन्तर्गत सामग्री पूर्तियॉ इकाई मद से वहन किया जायेगाः–

कमांक	**मद का नाम**	**संशोधित दर**
1	**2**	**3**
1	**भोजन (जलपान सहित)**	900/– रू0 प्रतिछात्र प्रतिमाह
2	**विशेष भोजन**	25/– रू0 प्रतिछात्र वर्ष में चार बार अर्थात कुल 100/–रू0 वार्षिक
3	**वस्त्र**	1500/– रू0 प्रतिछात्र प्रतिवर्ष (विवरणी 1 एवं 2)
4	**तेल, साबुन, सोडा**	100/– रू0 प्रतिछात्र प्रतिमाह
5	**दवा**	100/– रू0 प्रतिछात्र प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए सेनेटरी नेपकीनहेतु अतिरिक्त 25/– प्रति माह प्रति छात्रा– (विद्यालयों में दस माह के लिए)
6	**पठन–पाठन सामग्री**	1000/– रू0 प्रतिछात्र प्रतिवर्ष (सभी विद्यालयों / गृहों के लिये)

क्रमांक	मद का नाम	संशोधित दर
1	2	3
7	**परिवहन**	25 आसन वाले संस्थान – 150 / प्रतिमाह 50 आसन वाले संस्थान – 300 / प्रतिमाह 100 आसन वाले संस्थान – 400 / प्रतिमाह 248 आसन वाले संस्थान – 600 / प्रतिमाह
8	**सफाई मद**	25 आसन वाले संस्थान – 500 / प्रतिमाह 50 आसन वाले संस्थान – 1000 / प्रतिमाह 100 आसन वाले संस्थान – 2000 / प्रतिमाह 248 आसन वाले संस्थान – 3000 / प्रतिमाह
9	**किरासन तेल**	25 आसन वाले संस्थान – 600 / प्रतिमाह 50 आसन वाले संस्थान – 1200 / प्रतिमाह 100 आसन वाले संस्थान – 2400 / प्रतिमाह 248 आसन वाले संस्थान – 4800 / प्रतिमाह
10	<u>खेल–कूद सामग्री /प्रतियोगिता</u> क– प्राथमिक विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय घ– गृह / बालगृह	 5000 /– वार्षिक 7000 /– वार्षिक 10000 /– वार्षिक सभी गृह– 500 /– प्रतिमाह
11	<u>सांस्कृतिक कार्यक्रम,वार्षिकोत्सव, वागवानी इत्यादि –</u> क– प्राथमिक विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय घ– गृह / बालगृह	 7500 /– वार्षिक 10000 /– वार्षिक 15000 /– वार्षिक सभी गृह– 5000 /– वार्षिक
12	<u>पुस्तकालय व्यय</u> क– प्राथमिक विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय घ– गृह / बालगृह	 1000 /– प्रति विद्या0 / वर्ष 4000 /– प्रति विद्या0 / वर्ष 7000 /– प्रति विद्या0 / वर्ष सभी गृह– 1000 /– वार्षिक
13	<u>दैनिक समाचार पत्र / पत्रिका</u> क– प्राथमिक विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय	 2000 /– प्रति विद्या0 / वर्ष 3000 /– प्रति विद्या0 / वर्ष 4000 /– प्रति विद्या0 / वर्ष
14	<u>व्यवसायिक प्रशिक्षण (सामग्री सहित)</u>	500 रू0 प्रति छात्र प्रति वर्ष (सभी विद्यालय) 500 रू0 प्रति छात्र प्रति वर्ष (सभी गृह)
15	<u>कम्प्यूटर प्रशिक्षण</u>	500 रू0 प्रति छात्र प्रति वर्ष
16	<u>सूरक्षा गार्ड</u>	2000 /– प्रतिमाह के दर से तीन गार्ड /प्रति विद्यालय या गृह (8 घंटे प्रति गार्ड) एक वर्ष के लिए।

विवरणी– 1

गृह/विद्यालय/छात्रावासों के आवासियों/छात्रों के पोशाक संबंधी तालिका

क्रमांक	मद का नाम	अवधि	पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4	5
1	शर्ट	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
2	पैंट	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
3	कुर्त्ता	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
4	पैजामा	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
5	गंजी	2 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान
6	जांघिया	2 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
8	तौलिया	1 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान
10	जूता—मोजा	2 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान

विवरणी— 2

गृह/विद्यालय/छात्रावासों के आवासिनियों/छात्राओं के पोशाक संबंधी तालिका

क्रमांक	मद का नाम	अवधि	पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4	5
1	फॉक/कुर्ता/साड़ी	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
2	सलवार/पेटीकोट	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
3	ब्लाउज	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
4	नाईटी /नाईट सूट	2 प्रति वर्ष		संशोधित प्रावधान
5	समीज	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
6	अन्तः वस्त्र	2 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
8	तौलिया	1 प्रति वर्ष	पूर्व से प्रावधानित।	प्रावधानित।
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान
10	जूता—मोजा/सैन्डल	2 प्रति वर्ष	—	संशोधित प्रावधान

3— विद्यालय शिक्षकों एवं गृह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षकों के भ्रमण कार्यक्रम, विधालय स्तर पर जिला स्तर पर प्रमंडल स्तर पर तथा राज्य स्तर पर सेमिनार, स्टडी मेटिरियल, लीफ—लेट, प्रचार—प्रसार हेतु आवश्यक व्यय सामग्री पूतियॉ मद से किया जायेगा ।

4— विद्यालय/ गृह की सफाई अनुबंध/निविदा के आधार पर कराया जायेगा ।

5— इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीन वर्षों पर मच्छड़दानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्तन, जुता, मोजा, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराया जाता है जिसका दर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

6— उपरोक्त दर एवं प्रावधानों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18—12—2006 को स्वीकृति दी गई है ।

7— यह आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा । इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश यथा संशोधित समझे जायेंगे ।

8—इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

9—कृपया प्रत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/—
(विजय प्रकाश)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/विविध – 10/2006 –347 पटना, दिनांक– 2/3/2007

प्रतिलिपिः– योजना विभाग/वित्त विभाग/विकास आयुक्त, बिहार,/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, कल्याण/निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग/उप सचिव, प्रभारी बजट शाखा, कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण/समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/विविध – 10/2006 –347 पटना, दिनांक– 2/3/2007

प्रतिलिपिः– निदेशक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि कृपया इसकी 1000 (एक हजार) प्रति मुद्रित कराकर इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

ह0/–
सरकार के सचिव।

RTI-Act Information 2007-for web site-27-9-07